INDIA NON JUDICIAL

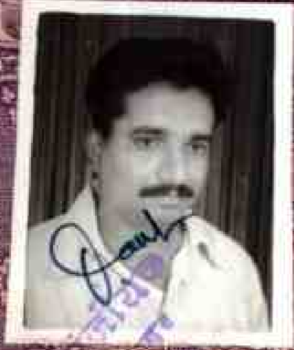

१000रु.

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

-:: श्री ::-

- ::: लीज डीड :: पट्टा विलेख :: ::-

मै किरेन्द्र पाराशर पुत्र श्री आशाराम जी पाराशर आयु लगभग २६ वर्ष निवासी पाराशर मोहल्ला अशोकनगर, तेहसील व जिला अशोकनगर, अध्यक्ष युवा व्यवसायिक शिक्षण संस्थान गुना का हूं। और जो श्री राकेश पाराशर पुत्र श्री आशाराम जी पाराशर आयु ४२ वर्ष, निवासी पाराशर मोहल्ला अशोकनगर से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे नंबर $\frac{४९१ ।१}{२}$ ::चार सौ इक्यानवे बटा एक बटा दो :: रकबा १ - २१५ हैक्टर अवस्थित ग्राम मारूप अशोकनगर - गुना रोड पर में से युवा व्यवसायिक शिक्षण संस्थान के लिये निम्नलिखित लंबाई चौड़ाई एवं अधिकार सीमा की भूमि ३० वर्ष के लिये लीज :पट्टे : पर लेता हूं जिसका किराया प्रतिमाह ५०० - ०० :: पांच सौ :रूपया रहेगा तथा कोई प्रीमियम अदा नही की गई है।

भूमि अवस्थित अशोकनगर - गुना रोड पर, ग्राम मारूप तेहसील व जिला अशोकनगर :: म०प्र० :: सर्वे नंबर ४९१ ।१ । २ में से उत्तर से दक्षिण ६८८ फुट लंबी तथा पूर्व से पश्चिम १५० फुट चौड़ी भूमि, जिसमें मकान बना हुआ है

-:: लीज पर दी जा रही भूमिकी वर्तमान अधिकार सीमा ::-

पूर्व दिशा में :-- श्रेयान्स चौधरी एवं श्री राजेन्द्र कोमर का वेयर हाउस एवं खुली भूमि

पश्चिम दिशा में :-- श्री संजय कुमार अग्रवाल की खुली भूमि

उत्तर दिशा में :-- सड़क सेन्टर लाईन से १६५ फुट भूमि के उपरांत अशोकनगर -गुना शासकीय रोड

दक्षिण दिशा मे :-- खुली भूमि रेल्वे तथा रेल्वे लाईन

१००० x २=२०००-००
५०० x १= ५००-००
२० x ८ =१६०-००

योग १९=२६६०-००

अशोकनगर फ्टा दाता :- राजेश कुमार पाराशर
आशाराम पाराशर जाति ब्रा०निवासी
अशोकनगर
८-५-२००५
फ्टा ग्रहीता :-उपेन्द्र पाराशर पिता
आशाराम पाराशर जाति ब्रा० नि०
अशोकनगर
द्वारा :- राजेश पाराशर

प्रापत लीज डीड हेतु

-: :संतोषकुमार जैन: :-
मु० वि० तहसील अशोकनगर

राजेश कुमार S/o आशाराम पाराशर

के द्वारा उप पं. अशोकनगर
जिला अशोकनगर के उप पंजीयक के
कार्यालय में तारीख 12 MAY 2005
को म० १० म० के .... बजे
प्रस्तुत किया गया 1:30

उप पंजीयक
12 MAY 2005

2660 -
2660 = 00

उप पंजीयक
अशोकनगर
12 MAY 2005

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

लीज की शर्तें निम्नप्रकार रहेंगी ::-

१:- यहकि उक्त मकान व भूमि का किराया ५००-०० :: पांच सौ :: रूपये मात्र प्रत्येक माह की पहिली तारीख से दस तारीख के बीच में अदा करके रसीद प्राप्त करूंगा बिना रसीद के कोई भी किराया मुजरा पाने का अधिकारी नही रहूंगा। मकान व भूमि का उपयोग एक माह से कम होने पर भी पूरे माह का किराया अदा करूंगा।

२:- भूमि को पूरी तरह से साफ सुथरा रखूंगा व उसमें बने हुए मकान को भी साफ सुथरा रखूंगा एवं मकान एवं भूमि के रूप में किसीप्रकार का परिवर्तन नही करूंगा। मकान एवं भूमि का उपयोग युवा व्यवसायिक शिक्षण संस्थान के लिये ही करूंगा किसी अन्य उपयोग में नही लूंगा।

३:- यहकि लीज की अवधि समाप्त होने पर मकान एवं भूमि को सीधे आपके अधिकार में देने का उत्तरदायित्व मुझ पर रहेगा व है। मेरे द्वारा मकान एवं खुली भूमि किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर अथवा उपयोग हेतु नही दी जावेगी।

४:-यहकि लीज ::पट्टा :: की अवधि समाप्त होने पर पुनः नवीन लीज डीड तैयार कराना होगा एवं उसका निष्पादन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

५:- यहकि लीज की अवधि ३० साल समाप्त होने पर या उसका किराया नियमित रूप से अदा न करने अथवा किसी अन्य उपयोग में लेनेअथवा अन्य

------------ ------------

B05436 (2007)

जिला कोषालय अधिकारी
05 MAY 2005
इस कार्यालय द्वारा आज दिनांक ....
को यह मुद्रांक प्रमाणित किया गया।
जिला कोषालय अधिकारी
अशोकनगर (म.प्र.)

अशोकनगर

६-५-२००५

१००० × २ = २०००-००
५०० × १ = ५००-००
२० × ८ = १६०-००

योग १९२६६०-००

पट्टा दाता :- राजेश कुमार पाराशर पिता आशाराम पाराशर जाति ब्रा०निवासी अशोकनगर

पट्टा ग्रहीता :- उपेन्द्र पाराशर पिता आशाराम पाराशर जाति ब्रा० नि० अशोकनगर

द्वारा :- राजेश पाराशर

बाबत लीज डीड हेतु

-: संतोष भार्गव वेन्डर :-
म० विवेलैक्स्ता ल अशोकनगर

(1) पट्टादाता → राजेश कुमार पि० आशाराम पाराशर जाति ब्राम्हण नि० अशोक नगर

(2) पट्टा ग्रहीता → उपेन्द्र पाराशर पिता आशाराम पाराशर जाति ब्राम्हण नि० अशोक नगर

~~जिन्हें मैं व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ.~~
स्वीकार करते है कि तथा कथित
~~पट्टा विलेख~~ ... का निष्पादन
किया गया था तथा प्रतिफल के
पूरे/आंशिक रु० .... शब्दों में रु०
प्राप्त हो गये है तथा रु० ....
शब्दों में रु० ....
उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे
और प्रतिफल की बकाया रकम रु० ....
... ... द्वारो
... ...

(1) शैलेन्द्र गुप्ता पि० ओ०के० गुप्ता अभिभाषक नि० सोनी कालोनी गुना

(2) मनीष साहू पि० कपूरचंद साहू नि० अशोक नगर

की जान पहचान निष्पादकों/निष्पादकों
की शिनाख्त के विषय में की गई था। 12 MAY 2005

उप पंजीयक

12 MAY 2005

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

-::३::-

व्यक्ति अथवा संस्था को किराये पर मेरे द्वारा देने पर आप श्री राकेश पाराशर को किराये की दर में परिवर्तन कराने तथा मकान एवं भूमि को रिक्त कराने का पूर्ण अधिकार होगा एवं बकाया किराया आदि वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा.

:६: यह कि मकान में आवश्यकतानुसार नल एवं बिजली लाने का खर्च संस्था द्वारा वहन किया जावेगा तथा प्रतिमाह उसका बिल चुकाने का दायित्व भी संस्था का होगा। यदि किसी कारणवश नल एवं बिजली कनेक्शन कट जाते हैं तो उन्हें पुनः चालू कराने का दायित्व भी संस्था का रहेगा।

यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों का पूर्णतः पालन न किया जावे तो आप श्री राकेश पाराशर को अधिकार होगा कि मकान व जमीन मुझसे वैधानिक रूप से रिक्त करा लेवें तथा हर्जा खर्चा उस दिन के किराये सहित वसूल कर लेवें।

अतः यह पट्टा ::लीज:: आज राजी खुशी के सोच समझकर सही मानसिक अवस्था में बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक लिख दिया तो सही समय पर काम आवे। दिनांक ८-५-२००५ स्थान अशोकनगर। दस्तावेज लेखक मोहनप्रसाद शर्मा अशोकनगर

साक्षी १ :------------------ हस्ताक्षर पट्टादाता :------------------

नाम शैलेन्द्र गुप्ता पिता बी.के. गुप्ता :: राकेश पाराशर ::

जाति अग्रवाल निवासी सोमानी कालोनी गुना हस्ताक्षर पट्टा गृहीता :------------------

साक्षी २ :------------------ :: उपेन्द्र पाराशर ::

नाम मनीष सोनी पिता कपूर चन्द सोनी अशोक नगर

अशोकनगर

A0125
9230

६-५-२००५

फ्रेता दाता :- राकेश कुमार पाराशर
बाबाराम पाराशर जाति ब्रा०निवासी
अशोकनगर
फ्रेता ग्रहीता :- उपेन्द्र पाराशर पिता
बाबाराम पाराशर जाति ब्रा०नि०
अशोकनगर
कर्ता :- राकेश पाराशर

बाबत लोक डीड हेतु

-: संतोषकुमार जैन :-
मु०नि०लेखक अशोकनगर

जिला ... अशोकनगर
इस कार्यालय ...
को यह मुद्रांक प्रदाय ...
जिला ... अशोकनगर (म.प्र.)

0 3 MAY 2005

१००० x २ = २०००-००
५०० x १ = ५००-००
२० x ४८ = ९६०-००

योग १९२६६०-००

उपरोक्त विक्रयपत्र पंजीयन अधिकारी के समक्ष
राजेश पाराशर ने
का निशान एवं हस्ताक्षर
किया गया

12 MAY 2005

उप पंजीयक

12 MAY 2005

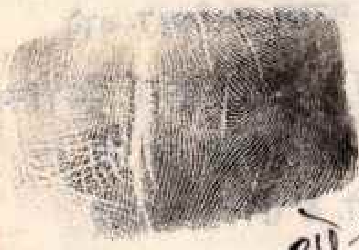

उपेन्द्र

उपरोक्त विक्रयपत्र पंजीयन अधिकारी के समक्ष
उपेन्द्र पाराशर ने
का निशान एवं हस्ताक्षर
किया गया

12 MAY 2005

उप पंजीयक

12 MAY 2005

गवाह

1. मनीष साहू

2. शैलेन्द्र गुप्ता